

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमति शशि रेजीना तिग्गा पिता अलेक्जेंडर तिग्गा निवासी ग्राम: ब्राम्बे, थाना: मानडर, जिला: रांची (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: ठेठांगी, थाना सं: 95 (वन पट्टा) खाता सं. 01 के अधीन प्लॉट सं. 61/2, कुल रकबा - 2.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, रांची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम ग्राम: ब्राम्बे, थाना: मानडर, जिला: रांची (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: ठेठांगी, थाना सं: 95 (वन पट्टा) खाता सं. 01 के अधीन प्लॉट सं. 61/2, कुल रकबा - 2.00 एकड़ के तहत श्रीमति शशि रेजीना तिग्गा पिता अलेक्जेंडर तिग्गा निवासी ग्राम: ब्राम्बे, थाना: मानडर, जिला: रांची (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

राजीव
24/01/19